

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)
बईजलास श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

हरजी पिता गंगाराम चमार निवासी माल का खेड़ा तहसील शाहपुरा

— वादी

बनाम

1. उगमा पिता किसना चमार निवासी माल का खेड़ा तहसील शाहपुरा
2. महावीर पिता देवी चमार निवासी माल का खेड़ा तहसील शाहपुरा
3. शंकर पिता देवी चमार निवासी माल का खेड़ा तहसील शाहपुरा
4. प्रेम पुत्री लादू चमार निवासी माल का खेड़ा तहसील शाहपुरा
5. भागीरथ पिता किसना चमार निवासी माल का खेड़ा तहसील शाहपुरा
6. श्रतना पिता लादू चमार निवासी माल का खेड़ा तहसील शाहपुरा
7. श्राजू पिता लादू चमार निवासी माल का खेड़ा तहसील शाहपुरा
8. लाली पत्नी लादू चमार निवासी माल का खेड़ा तहसील शाहपुरा
9. हजारी पिता गंगाराम चमार निवासी माल का खेड़ा तहसील शाहपुरा
10. फूमा पिता बगता रेगर निवासी भगवानपुरा तहसील शाहपुरा
11. तहसीलदार शाहपुरा तहसील शाहपुरा

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत बंटवाड़ा आराजियात व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 24 सन् 2020 राजस्व वाद


यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई वX मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है।
डिक्री दी जाती है कि :-

अभिभाषक वादी के नोट प्रेस किये जाने से वाद वादीगण खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 03 माह 10 सन् 2023 को जारी की गई।




(पुनीत कुमार गेलड़ा)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा